मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक-3045/प्रस/मबावि/2016 भोपाल, दिनांक-09/12/16

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला समस्त मध्यप्रदेश.
2. संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक, महिला सशक्तिकरण संभाग-समस्त म.प्र.
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी , जिला-समस्त
4. परियोजना अधिकारी/खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी परियोजना-समस्त.

विषयः- लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण "लाडली शिक्षा पर्व" के रूप में आयोजित किये जाने विषयक।

लाडली लक्ष्मी योजना वर्ष 2007 से विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। योजना प्रावधान अनुसार इस शैक्षणिक वर्ष से कक्षा छह में प्रवेश लेने वाली लाडलियों को छात्रवृत्ति वितरण की जाना है। छात्रवृत्ति वितरण योजना हेतु निर्धारित निधि "मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि" गठित की गई है जिससे यह राशि आहरित की जाकर हितग्राहियों को प्रदाय की जायेगी।

छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा "मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि" 8448-स्थानीय निधियों की जमा,120- अन्य निधियां, 0120-लाडली लक्ष्मी योजना शीर्ष से आहरण करने हेतु केन्द्रीयकृत बजट आहरण व्यवस्था (ग्लोबल बजट प्रणाली) लागू की गई है। जिससे राशि आहरित की जाकर संबधित पात्र हितग्राही को राशि ई पेमेंट के माध्यम से प्रदाय की जा जायेगी।

उक्त छात्रवृत्ति वितरण समारोह "लाडली शिक्षा पर्व" के रूप में आयोजित किया जाना है। अतः छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम जिले स्तर पर एक व्यापक समारोह के रूप में किया जावे। जिले के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की उपस्थित में जिले में कक्षा 6 में प्रवेशित छात्रवृत्ति हेतु पंजीकृत समस्त बालिकाओं को आमंत्रित किया जाकर छात्रवृत्ति का वितरण किया जावे। छात्रवृत्ति की राशि ई-भुगतान करते हुए वितरण समारोह में स्वीकृति पत्र जारी किये जावें । समस्त पात्र लाडलियों को 15 दिसंबर के पूर्व पंजीकृत करते हुए छात्रवृत्ति वितरण का कार्य 31 दिसंबर 2016 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

आगामी शैक्षणिक वर्ष में भी योजनान्तर्गत विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं की जानकारी विभागीय पोर्टल wwwladlilaxmi.com पर प्रविष्ट करना सुनिश्चित करें ताकि यथा समय उन्हें भी छात्रवृत्ति वितरित की जा सके।

8/12/16

(जे.एन. कांसोटिया)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ.क–3046 /प्रस/मबावि /2016 भोपाल, दिनांक 09/12/2016

प्रतिलिपिः–

1 निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्री जी महिला एवं बाल विकास विभाग।

2 आयुक्त, महिला सशक्तिकरण/एकीकृत बाल विकास सेवा, म.प्र.।

3 संभागायुक्त, संभाग समस्त, म0प्र0 ।

की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

8/12/16

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग